न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 248/2008
निर्णय दिनांक : 09.10.2023

1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी प्लॉट न 44–45 गोविन्द नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
2. श्रीमती बचना देवी पत्नि श्री प्रताप सिंह जाति जाट, निवासी ए–5 हरिनगर शास्त्री नगर जयपुर।
3. श्रीमती मोहिनी देवी पत्नि श्री दयाचन्द जाति जाट निवासी, बी–7 हरिनगर, शास्त्री नगर जयपुर

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री रामनारायण
2. भोलूराम पुत्र स्व. श्री रामनारायण (मृतक)
   2/1 श्रीमती केसर देवी देवा भोलूराम
   2/2 सीताराम पुत्र स्व भोलूराम
   2/3 कैलाश पुत्र स्व भोलूराम
   2/4 रामजीलाल पुत्र स्व श्री भोलूराम
   2/5 शंकर पुत्र स्व श्री भोलूराम
   2/6 भगवान सहाय पुत्र स्व श्री भोलूराम
3. हनुमान पुत्र स्व श्री रामनारायण
4. मोहनलाल पुत्र स्व श्री रामनारायण
5. सूरज पुत्र स्व. श्री छोटीलाल
6. बाबूलाल पुत्र स्व श्री छोटीलाल
7. राजू पुत्र स्व श्री छोटीलाल
8. नरसिंगा पुत्र स्व श्री सोन्या (मृतक)
   8/1 नन्छीलाल पुत्र स्व श्री नरसिंगा
   8/2 मीठालाल पुत्र स्व. श्री नरसिंगा
   8/3 रामूलाल पुत्र स्व श्री नरसिंगा
   8/4 जमुना पत्नि स्व श्री भौरीलाल पुत्रवधु स्व श्री नरसिंगा
   8/5 किशोर पुत्र स्व भौरीलाल पौत्र स्व श्री नरसिंगा
   8/6 जगदीश पुत्र स्व भौरीलाल पौत्र स्व श्री नरसिंगा
   8/7 बाबूलाल पुत्र स्व भौरीलाल पौत्र स्व श्री नरसिंगा
   8/8 सुरेश पुत्र स्व भौरीलाल पौत्र स्व श्री नरसिंगा
9. श्रीमती बीला बेवा गुल्लाराम
10. मूलचन्द पुत्र गुल्लाराम
11. लालाराम पुत्र श्री गुल्लाराम
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री गुल्लाराम
13. रामकिशोर पुत्र श्री गुल्लाराम
14. रामप्रसाद पुत्र श्री गोरीलाल
15. प्रहलाद पुत्र श्री गोरीलाल
16. मु. मांगी बेवा श्री गोरीलाल

समस्त जातियान ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम केशोपुरा, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

17. श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री रामनारायण शर्मा, उम्र 46 वर्ष,
18. श्रीमती डीपू शर्मा पत्नी री मुकेश कुमार शर्मा उम्र 26 वर्ष
जातियान हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम असरपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
19. श्रीमती मंजू देवी पत्नि श्री रमेश कुमार चौहान उम्र 45 वर्ष,
20. श्रमती सरोज देवी पत्नि श्री लोकेश कुमार, उम्र 38 वर्ष, जातियान राजपूत, निवासीयान 42, शिवमार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर।
21. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
22. मॉ दुर्गा चेरिटेबल ट्रस्ट जरिये सेटलर श्री नेमीचन्द शर्मा पुत्र मजन लाल शर्मा पता–अवधपुरी महेश नगर जयपुर
23. श्रीमती संतरा शर्मा पत्नी नेमीचन्द शर्मा निवासी प्लाट नम्बर 100 डी महेश नगर जयपुर।
24. हंसविद्या मंदिर समिति जरिये सचिव नेमीचन्द शर्मा पुत्र जमन लाल, कार्यालय पता–अवधपुरी महेश नगर जयपुर।
25. अशोक कुमार यादव पुत्र बस्ती राम यादव निवासी माताजी की कॉलानी मेडता रोड नागौर
26. मांगीलाल शर्मा पुत्र रामराय शर्मा, निवासी प्लाट नम्बर 4 महावीर नगर ए पत्रकार कॉलानी जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से पेश वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह कि आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नं 63 रकबा 0.66 हेक्टेयर, खसरा नं 65 रकवा 0.08 हेक्टेयर, खसरा नं 66 रकबा 0.80 हेक्टेयर, खसरा न 67 रकबा 0. 79 हेक्टेयर खसरा न. 68 रकबा 0.31 हेक्टेयर खसरा न 69 रकबा 0.72 हेक्टेयर, खसरा न. 70 रकबा 0.67 हेक्टेयर, खसरा न 71 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा न 72 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा न 73 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा नं 75 रकबा 1.30 हेक्टेयर, खसरा नं 76 रकबा 1.35 हेक्टेयर कुल किता 13 कुल रकवा 7.20 हेक्टेयर वाके ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। वाद–पत्र के पैरा न 1 में वर्णित उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण 1 लगायत 4 का अविभाजित हिस्सा 1/2 में दर हिस्सा 1/2 निहित है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी से 9 लगायत 13 का हिस्सा 5/36 एवं प्रतिवादी सं. 14 लगायत 16 का हिस्सा 1/36 एवं प्रतिवादी सं. 17 लगायत 20 का हिस्सा 1/2 में दर हिस्सा 1/2 निहित है। वाद–पत्र के पैरा नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि हिस्से 1/2 दर हिस्से 1/2 के वादीगण एकमात्र रिकॉडेड खातेदार, काश्तकार है तथा अपने उक्त हिस्से कृषि भूमि पर काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वाद–पत्र के पैरा नं 1 में वर्णित कृषि भूमि एक अविभाजित कृषि भूमि है तथा आज तक उक्त कृषि भूमि का किसी भी सक्षम न्यायालय या अधिकारी द्वारा तकासमा नहीं किया गया है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी मन के आधार पर उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे। प्रतिवादीगण 1 व 3 लगायत 7 व 9 ता 16 वादीगण को आये दिन हैरान–परेशान करते रहते है तथा वादीगण को उनके हिस्से [illegible] भूमि के उपयोग उपभोग करने में बाधा एवं रूकावट उत्पन्न करते रहते हैं एवं [illegible] उनके हिस्से कृषि भूमि से जोर–जबरन बेदखल कर उक्त कृषि भूमि का बेचान किसी [illegible] के हक में करने पर आमादा है। जिसका कि प्रतिवादी[illegible] कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उपरोक्त पैरा नं 1 [illegible] र्णित कृषि भूमि का आपसी सहमति के आधार पर तकासमा करने हेतु निवेदन किया जाता रहा है। परन्तु प्रतिवादीगण उपरोक्त पैरा नं 1 में वर्णित अविभाजित कृषि भूमि का विभाजन करने हेतु कभी भी तैयार नहीं होते है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 19 को वाद पत्र के पैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Si
Date: 2024.02.02 10:28:58 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न 1 मे वर्णित कृषि भूमि का दिनांक 28/07/08 को उनके निवास स्थान पर जाकर उनसे उपरोक्त अविभाजित कृषि भूमि का तकासमा करवाने एवं सीमा ज्ञान करवाने बाबत निवेदन किया गया तो प्रतिवादीगण नहीं माने तथा कहा कि वे लोग उपरोक्त कृषि भूमि का तकासमा नहीं करवायेंगे तथा ना ही किसी प्रकार का कोई सीमा ज्ञान इत्यादि करवायेंगे तथा उन्होंने वादीगण को कहा कि वे लोग वादीगण को उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण के हिस्से 1/2 में दर हिस्से 1/2 से जोर जबरन बेदखल करके एक उक्त कृषि भूमि का बिना तकासमा करवाये ही बेचान करके रहेंगे तथा उनको जो करना हो सो कर लें। इस कारण वादीगण को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है तथा वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वे वाद–पत्र के पैरा न 1 में वर्णित कृषि भूमि का जरिये न्यायालय बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवा सके। प्रतिवादीगण वादीगण को आये दिन वाद–पत्र के पैरा न 1 में वर्णित वादीगण के हिस्से 1/2 में दर हिस्से 1/2 से येन–केन–प्रकारेण असामाजिक तत्वों के सहारे जोर जबर करने पर आमादा है तथा इस आशय की प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 28/07/2008 को धमकी भी दी गई है जिसका कि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये न्यायालय आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा देवे कि प्रतिवादीगण वादीगण को वाद–पत्र पैरान 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के हिस्से 1/2 में दर हिस्से 1/2 से जोर जबरन वेदखल नहीं करे ना तो प्रतिवादीगण ऐसा स्वयं करें ना ही अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट, अभिकर्ता, मुख्त्यारआम इत्यादि से करावे। प्रतिवादी नं 20 को लैण्ड होल्डर होने की हैसियत से उक्त वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है जिसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं चाहा गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जांवे।

(1) यह कि वाद पत्र के पैरा न 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

(2) यह कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को वाद–पत्र के पैरा नं 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के हिस्से 1/2 में दर हिस्से 1/2 से जोर जबरन वेदखल नहीं करे ना तो प्रतिवादीगण ऐसा स्वयं करें ना हीं अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट, अभिकर्ता, मुख्त्यारआम इत्यादि से करावें ।

(3) यह कि खर्चा वाद वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें ।

(4) यह कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो मान्य न्यायालय बहक प्रतिवादीगण वादीगण के हक में उचित समझे अता फरमावें ।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 7, 9 से 20 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 21 पैरोकार सरकार उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 2, 8 की मृत्यु होने जाने पर वादीगण की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रति[illegible] 2 तथा 8 के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिया जाकर उनकी तलवी की [illegible] प्रतिव[illegible] संख्या 2/1, से 2/6 तथा 8/1 से 8/8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। [illegible] संख्या 17 लगायत 20 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल [illegible] गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 7, 9 से 16 व 21 को जवाब दावा प्रस्तुत करने [illegible] कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 23.09.2009 का जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 8 के कायम मुकाम को 500 रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipa
Date: 2024.02.02 10:28:5
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब दावा प्रस्तुत नही करने तथा दिनांक 25.05.2010 को उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर तथा बार–बार जवाब लगाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 20 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में वाद पत्र के मद संख्या 1 लगायत 4 के स्वीकार करते हुए अंकित किया कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराज संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा करवाने के लिए हमेशा तैयार हेतु तत्पर रहे है। वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कर दिया जावे। वाद पत्र मे प्रतिवादीगण का जवाब दावा बंद किये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 17 से 20 का जवाब प्रस्तुत होने पर वाद पत्र में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही होने पर पत्रावली साक्ष्य वादीगण हेतु नियत की गई वादीगण की ओर से श्रीमती शान्ति देवी व मोहनी देवी के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। दिनांक 16.08.2010 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गयी।

पत्रावली पेश हुयी। वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित आये। वकील वादीगण को वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वकील वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमी है। जिसका विभाजन पक्षकारान के मध्य किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण उपस्थित नही। वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कर दिया जावे। तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात प्राप्त कर लिये जाने उसके मुताबित अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तथा प्रतिवादी 17 से 20 का वादग्रस्त आराजी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कराये जाने हेतु सहमत है। अतः विवादित आराजी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कर दिया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2062–2065 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 62, 63, 65 से 73, 75 व 76 कुल किता 13 कुल रकबा 7.20 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम केशोपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 का हिस्सा 5/36, प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 16 का हिस्सा 1/36, प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 20 का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। विवादित भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 17 लगायत 20 वादग्रस्त आराजी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा बनाये जाने से सहमत होने पर वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 02.11.2010 प्राथमिक डिक्री जारी की गयी।

तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियो मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार [illegible] द्वारा [illegible] मु0अ0/2022/9126 दिनॉक 18.10.2022 के संलग्न कुरेजात रिपोर्ट मय नक्[illegible] प्रा[illegible] मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 [illegible] दिवानी पेश हुआ। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित उनवान पेश किया जो पत्रावली में शामिल है। वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री फरमाया जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipa
Date: 2024.02.02 10:28:5
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व वकील वादीगण की बहस का मनन करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है। वाद वादीगण द्वारा तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुरेंजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की है। तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुरेंजात रिपोर्ट अनुसार वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम केशोपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 62, 63, 65 से 73, 75 व 76 कुल किता 13 कुल रकबा 7.20 हैक्टेयर का तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	133	62 63 65 66 67 68 69 70 71 बाडा 72 73 75 76	0.34 0.66 0.08 0.80 0.79 0.31 0.72 0.67 0.06 0.06 0.06 1.30 1.35	171.61	कमलेश, रमेश, राकेश पिता मीठालाल हिस्सा 1/24 **हिस्सा ब किशोर**, जगदीश, बाबूलाल, सुरेश पि. भौरीलाल हिस्सा 1/24, नन्छीलाल, रामू पि0 नरसिंगा हिस्सा 1/12, प्रहलाद, रामप्रसाद पि0 गौरीलाल, मांगीदेवी पत्नी गौरीलाल हिस्सा 43/1440 हि. ब. भगोती, संतोष पुत्रिया गौरीलाल हि. 1/720, बाबूलाल, राजू, सूरज पि. छोटीलाल हि. 1/30, मूलचन्द, रामकिशोर, मनकूर, लक्ष्मीनारायण, लालचन्द पिता गुल्लाराम हिस्सा 1/8, भौरी देवी पुत्रि गुल्लाराम, मन्नादेवी, रामप्यारी पुत्रि गुल्लाराम हि बहि 1/96, भोलूराम, मोहनलाल, राधेश्याम, हनुमान पि. रामनारायण हि. 2/15 सा देह गंगा देवी पत्नि रामनारायण हि. 1/16, दीपू शर्मा पत्नि मुकेश शर्मा हि. 1/16 जाति ब्राहम्ण सा असरपुरा मोहनी देवी पत्नी दयाचन्द हि. 1/12 निवासी बी–7, हरि नगर शास्त्री नगर, जयपुर, बचना देवी पत्नि प्रताप सिंह हि. 1/12, जाति जाट निवासी ए–5 हरिनगर शास्त्री नगर जयपुर, शान्ति देवी पत्नी ओमप्रकाश हि. 1/12 जाति जाट नि. 44, 45 गोविन्द नगर, जयपुर, मंजू देवी पत्नी रमेश कुमार चौहान हि. 1/16, सरोज देवी पत्नी लोकेश चौहान हि. 1/16 जाति तेली नि. शिव मार्ग सिविल लाईन जयपुर।
कुल किता		13	7.20		

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipa
Date: 2024.02.02 10:28:58
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज

क्र. सं.	प्रस्तावित खोतेदार	प्रस्तावित ख.न.	प्रस्तावित रकबा	नक्शे में रंग
1	गंगा देवी पतनी रामनारायण हिस्सा 1/8, दीपू शर्मा पत्नी मुकेश शर्मा हिस्सा 1/8, जाति ब्राह्मण सा असरपुरा, मोहनी देवी पत्नी दयाचन्द हि 1/6, निवासी बी–7, हरिनगर शास्त्रीनगर जयपुर, बचना देवी पत्नी प्रतापसिंह हिस्सा 1/6 जाति जाट निवासी ए–5, हरिनगर शास्त्रीनगर जयपुर, शान्ति देवी पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 1/6 जाति जाट निवासी 44–45 गोविन्द नगर, जयपुर, मंजू देवी पत्नी रमेश कुमार चौहान हि. 1/8 सरोज देवी पत्नी लोकेश चौहान हि. 1/8 जाति तेली नि. शिव मार्ग, सिविल लाईन जयपुर।	75 76 68 मि. 69 मि. 70 मि.	1.30 1.35 0.0461 0.4777 0.3362	गुलाबी
	कुल किता	5	3.51	
	कमलेश, रमेश, राकेश पिता मीठालाल हिस्सा 1/12, **किशोर**, जगदीश, बाबूलाल, सुरेश पि. भौरीलाल हिस्सा 1/12, नन्छीलाल, रामू पि0 नरसिंगा हिस्सा 1/6, प्रहलाद, रामप्रसाद पि0 गौरीलाल, मांगीदेवी पत्नी गौरीलाल हिस्सा 43/720, भगोती संतोष पुत्रिया गौरीलाल हि. 1/360, बाबूलाल, राजू, सूरज पि. छोटीलाल हि. 1/15, मूलचन्द, रामकिशोर, लक्ष्मीनारायण, लालचन्द पि. गुल्लाराम हिस्सा 1/4, भौरी देवी, मन्नादेवी, रामप्यारी पुत्रियां गुल्लाराम हि 1/48, भोलूराम, मोहनलाल, राधेश्याम, हनुमान पि. रामनारायण हि. 4/15 जाति ब्राहम्ण, सा. देह	65 66 67 62 63 68 मि. 69 मि. 70 मि.	0.08 0.80 0.79 0.34 0.66 0.2639 0.2423 0.3338	हरा
		8	3.51	
	कमलेश, रमेश, राकेश पिता मीठालाल हिस्सा 1/24, **किशोर**, जगदीश, बाबूलाल, सुरेश पि. भौरीलाल हिस्स 1/24, नन्छीलाल, रामू पि0 नरसिंगा हिस्सा 1/12, प्रहलाद, रामप्रसाद पि0 गौरीलाल, मांगीदेवी पत्नी गौरीलाल हिस्सा 43/1440, भगौती, संतोष पुत्रिया गौरीलाल हि. 1/720, बाबूलाल, राजू, सूरज पि. छोटीलाल हि. 1/30, मूलचन्द, रामकिशोर, लक्ष्मीनारायण, लालचन्द पि. गुल्लाराम हिस्सा 1/8, भौरी देवी, मन्नादेवी, रामप्यारी पुत्रियां गुल्लाराम हि 1/96, भोलूराम, मोहनलाल, राधेश्याम, हनुमान पि. रामनारायण हि. 2/15 जाति ब्राहम्ण, सा. देह, गंगा देवी पत्नि रामनारायण हि. 1/16, दीपू शर्मा पत्नि मुकेश शर्मा हि. 1/16 जाति ब्राहम्ण सा. असरपुरा मोहनी देवी पत्नी [illegible] 1/12 निवासी बी–7, हरि नगर शास्त्री नगर, जयपुर, बचना देवी पत्नि प्रताप सिंह हि. 1/12, [illegible] निवासी ए–5 हरिनगर शास्त्री नगर जयपुर, [illegible] पत्नी ओमप्रकाश हि. 1/12 जाति जाट [illegible] 44–45 गोविन्द नगर, जयपुर, मंजू देवी पत्नी रमेश कुमार चौहान हि. 1/16 सरोज देवी पत्नी लोकेश चौहान हि. 1/16 जाति तेली नि. शिव मार्ग सिविल लाईन जयपुर।	71 72 73	0.06 0.06 0.06	पीला
		3	0.18	
	कुल किता			

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **09.10.2023** को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested